न्यायालय – न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैतारण, जिला ब्यावर, राज.

पीठासीन अधिकारी	:	**स्वाति तोलंबिया,** आर.जे.एस.
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या	:	525/2025
सीएनआर नंबर	:	RJBE060010482025

भाग प्रथम

A

परिवादी	**धर्मपाल सिंह पुत्र इंद्रसिंह,** उम्र 41 वर्ष, निवासी रायको का मौहल्ला, करनौस, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर हाल निवासी सी.ओ श्री सांवतराम देवासी, चौहान कॉलोनी, रास, तहसील जैतरण, जिला ब्यावर।
अभियुक्त का नाम व पता	**अशोक कुमार नाथ पुत्र औंकार नाथ,** उम्र 54 वर्ष, निवासी पुलिस चौकी भाटियों का बांस, बाबरा तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
अधिवक्ता परिवादी	कमल आचार्य
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री नरेंद्रनाथ जी देवड़ा

B

परिवाद प्रस्तुती दिनांक	07.07.2015
प्रसंज्ञान लेने की दिनांक	30.07.2015
साक्ष्य परिवादी प्रारंभ करने की दिनांक	29.06.2017
साक्ष्य अभियुक्त प्रारंभ करने की दिनांक	05.03.2018
निर्णय दिनांक	14.08.2026

C

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	अपराध अंतर्गत धारा	न्यायालय निर्णय
01.	**अशोक कुमार नाथ पुत्र औंकार नाथ**	138 एन.आई एक्ट	दोषमुक्त

भाग. द्वितीय

बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
गवाह संख्या	**नाम गवाह**	**विवरण**
पी.डब्ल्यू 01.	धर्मपाल सिंह	परिवादी

ब—बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
डी.डब्ल्यू 01.	अशोक कुमार	अभियुक्त
डी.डब्ल्यू 02.	रणजीत सिंह	बचाव गवाह
डी.डब्ल्यू 03.	रामेश्वर लाल	बचाव गवाह
डी.डब्ल्यू 04.	धीरेंद्र सिंह	बचाव गवाह
डी.डब्ल्यू 05.	शंकरलाल सैन	बचाव गवाह
डी.डब्ल्यू 06.	कैलाशचंद	बचाव गवाह

स—न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
—	—	—

<u>परिवादी/बचाव/न्यायालय प्रदर्श</u>

अ—परिवादी प्रदर्श

क्र.सं.	**प्रदर्श नंबर**	**विवरण**
01.	प्रदर्श पी 01	असल चैक
02.	प्रदर्श पी 02	चैक रिटर्न मीमो
03.	प्रदर्श पी 03	डाक रसीद
04.	प्रदर्श पी 04	ट्रेकिंग रिपोर्ट
05.	प्रदर्श पी 05	प्राप्ति स्वीकृति रसीद प्राप्त नहीं होने बाबत्
06.	प्रदर्श पी 06	रजिस्टर्ड ए.डी नोटिस की प्रति
07.	प्रदर्श पी 07	नोटिस का जवाब

ब—बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01.	प्रदर्श डी 01	प्रथम सूचना रिपोर्ट
02.	प्रदर्श डी 02	पूछताछ नोट
03.	प्रदर्श डी 03	अभियुक्त के बैंक खाते की मूल पासबुक
03.	प्रदर्श डी 04	परिवाद **नोटः— परिवादी द्वारा प्रदर्श डाले जाने पर आपत्ति की गयी थी। प्रदर्श डी 04 परिवादी का परिवाद है जो पूर्व से रिकॉर्ड पर था एवं परिवादी द्वारा प्रदर्शित नहीं किया गया था। ऐसे में प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त द्वारा प्रदर्श डाला जाना न्यायोचित उक्तानुसार आपत्ति का निस्तारण किया गया।**
05.	प्रदर्श डी 05	श्रीमान् शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्यावर को चैकों का भुगतान नहीं करने बाबत् तहरीर

स—न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
—	—	—

द— भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
—	—	—

<u>निर्णय</u> **दिनांक : 14.08.2026**

01. हस्तगत प्रकरण का उद्भव परिवादी **धर्मपाल सिंह पुत्र इंद्रसिंह** की ओर से अभियुक्त **अशोक कुमार पुत्र औंकार नाथ** के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, जिसे 138 एन.आई.एक्ट से संबोधित किया जायेगा, से हुआ, जो कालांतर में अंतरित होकर प्राप्त हुआ, जिसका एतद्द्वारा बाद विचारण निस्तारण किया जा रहा है।

02. परिवाद पत्र के अनुसार मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अभियुक्त को अपनी घरेलू एवं व्यवसायिक जरूरत हेतु रुपयों की आवश्यकता होने

पर उसने परिवादी से 4,25,000/— रुपये नकद उधार प्राप्त किये एवं अभियुक्त अशोक कुमार ने उक्त उधार राशि की पुनः भुगतान हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा ब्यावर के खाता सं. 25690100004903 का एक चैक सं. 000007 दिनांकित 15.05.2015 रुपये 4,25,000/— का स्वयं के हस्ताक्षर करके परिवादी को दिया एवं विश्वास दिलाया कि उक्त चैक को क्लीयरेंस हेतु बैंक के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उक्त चैक में वर्णित रकम उसे प्राप्त हो जायेगी जिस पर परिवादी द्वारा उक्त चैक अपने खाते की बैंक पंजाब नेशनल बैंक में भुगतान प्राप्ति हेतु जमा करवाया जिस पर परिवादी बैंक ने उक्त चैक को क्लीयरेंस हेतु अभियुक्त की बैंक भारतीय स्टेट बैंक में भिजवाया लेकिन अभियुक्त बैंक द्वारा अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण "ओपनिंग बैलेंस इनसफिसियंट" से उक्त चैक का भुगतान न कर बैंक ने अपने चैक रिटर्न मीमो दिनांक 21.05.2015 के कोड सं. 08 "ओपनिंग बैलेंस इनसफिसियंट" का इंद्राज कर उक्त चैक को चैक रिटर्न मीमो सहित परिवादी बैंक को लौटा दिया। परिवादी को उक्त अनादरितशुदा चैक प्राप्त होने पर अभियुक्त से व्यक्तिगत एवं जरिये दूरभाष संपर्क कर उक्त के बारे में बताने के तत्पश्चात् भी अभियुक्त द्वारा टालमटोल व बहानेबाजी कर आज दिनांक तक परिवादी को उक्त चैक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया गया तत्पश्चात् परिवादी ने जरिये अभिभाषक कमल किशोर आचार्य के द्वारा अभियुक्त के स्थायी पते पर दिनांक 08.06.2015 को एक पंजीकृत नोटिस मय रजिस्टर्ड ए.डी के अभियुक्त के स्थायी पते पर प्रेषित कर नोटिस प्राप्ति से 15 दिवस में चैक में वर्णित रकम अदा करने की मांग करने पर उक्त नोटिस अभियुक्त को प्राप्त हो गया तथा उसने अपने अधिवक्ता श्री संतोष नाथ देवड़ा के मार्फत एक जवाब नोटिस दिनांक 16.06.2015 को झूठे एवं मनगढ़त तथ्यों के आधार पर परिवादी को प्रेषित करवाया। अभियुक्त द्वारा परिवादी को 4,25,000/— रुपये की अदायगी आज दिनांक तक नहीं की गयी। इस्तगासा अन्दर मयाद व उचित न्याय शुल्क पर श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है। अतः अभियुक्त से जुर्माने के रूप में उक्त चैक की दुगुनी राशि प्राप्त कर परिवादी बैंक को उसकी चैक की राशि व उस पर ब्याज की राशि तथा परिवादी बैंक को क्षतिपूर्ति अभियुक्त से परिवादी को दिलाये जाने का निवेदन किया। परिवाद के आधार पर दिनांक 30.07.2015 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त अशोक कुमार के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट का प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्त को तलब किया गया।

03. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित आने पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत् आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व

समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया व अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के पश्चात् अभियुक्त के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लिये गए। अभियुक्त ने परिवादी साक्ष्य का गलत होना बताते हुए कथन किया कि ''गलत चैक लगाया गया है।''

अवधारणीय बिंदुः—

05. हस्तगत प्रकरण में विचारणीय बिंदु यह है किः—

"क्या अभियुक्त अशोक कुमार द्वारा ऋण अथवा अन्य दायित्व के भुगतान हेतु परिवादी को एक चैक सं. 000007 राशि 4,25,000/— रुपये दिनांक 15. 05.2015 का जारी किया गया जो परिवादी द्वारा चैक लिखे जाने की तारीख से उक्त चैक की वैधता की अवधि के भीतर चैक को बैंक में प्रस्तुत करने पर अभियुक्त के बैंक द्वारा दिनांक 21.05.2015 को "ओपनिंग बैलेंस इनसफिसियंट" की टिप्पणी के साथ अनादरित कर लौटा दिया गया, जिस पर परिवादी द्वारा बैंक से अनादरण की सूचना प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर अभियुक्त को दिनांक 08.06.2015 को सूचना देकर उक्त चैक में वर्णित राशि की मांग किये जाने के उपरांत भी अभियुक्त द्वारा नोटिस की सूचना होने के 15 दिवस के भीतर परिवादी को उक्त चैक में वर्णित राशि का संदाय नहीं किया गया है?" यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड से दण्डित किये जाने योग्य है?

06. **दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने परिवाद तथा प्रस्तुत लिखित बहस में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि** अभियुक्त अशोक कुमार को अपनी घरेलू जायज जरूरत हेतु परिवादी से 4,25,000/— रूपये नगद उधार लिये जिसके भुगतान बाबत् उसने अपनी बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा ब्यावर में स्थित खाता संख्या 25690100004903 का चैक संख्या 000007 दिनांक 15.05.2015 राशि 4,25,000/— रूपये परिवादी को दिया था, जिसके भुगतान हेतु परिवादी ने दिनांक 15.05.2026 को बैक में प्रस्तुत किया जिसे सम्बन्धित बैंक द्वारा दिनांक 21.05.2015 को ओपनिंग बैलेन्स इनसफिसेन्ट का इन्द्राज कर लौटा दिया जो चेक प्रदश 01 व रिर्टन मीमो प्रदर्श 02 है तथा चैक अनादरण की सूचना का वैधानिक नोटिस दिया गया जिसकी डाक रसीद प्रदर्श 03 है तथा ट्रेकिंग रिपोर्ट प्रदर्श 04 व डाक विभाग को प्राप्ति रसीद हेतु पेश प्रार्थना पत्र प्रदर्श 05 व वैधानिक नोटिस प्रदर्श 06 है तथा अभियुक्त द्वारा वैधानिक नोटिस का दिया गया जवाब नोटिस प्रदर्श 07 है जो ऑन रेकर्ड है तथा तमाम दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत जिससे बखुबी साबित व प्रमाणित है। अभियुक्त द्वारा परिवादी को आज दिन तक उक्त रुपयों का भुगतान नहीं किया गया। अभियुक्त ने उक्त प्रकरण में

अपनी ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श डी 01 व डी 02 जो कि एफआईआर व रोजनामचा है। इस एफआईआर पर जांच अधिकारी द्वारा जांच कर एफआर लगाकर कार्यवाही बंद की गई। इसलिये जानकारी व तथ्य अभियुक्त ने जानबूझकर न्यायालय को नही बताया है।

इसी प्रकार प्रदर्श डी 03 अभियुक्त के बैंक खाता की पासबुक है जिसका इस प्रकरण से कोई सम्बन्धसरोकार नहीं है तथा प्रदर्श डी 05 शाखा प्रबन्धक महोदय बैंक ऑफ बड़ौदा ब्यावर को पेश प्रार्थना पत्र है जो वैधानिक नोटिस के जवाब नोटिस के बाद पेश किया केवल अपने इस प्रकरण में बचाव के लिये व प्रकरण को सन्देहास्पद बनाने की नियत से तथा अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में प्रस्तुत प्रदर्श डी 01 से डी 05 तक प्रस्तुत दस्तावेज इस प्रकरण पर किसी भी सुरत पर लागू नहीं होते है। अभियुक्त द्वारा जानबूझकर प्रकरण को लम्बा करने व परिवादी को तंग व परेशान करने की नियत से व न्यायालय का नाजायज समय जाया करने व अनावश्यक न्यायालय की प्रोसिडिग्स को बढ़ाने की नियत से समय समय पर अपनी जमानत जब्त करवाकर प्रकरण को जानबूझकर लंबा किया है। अभियुक्त ने अपने बचाव में बार बार परिवादी द्वारा बी.सी चलाने के समय उक्त चैक सिक्योरिटी बाबत् लिये जाने का कथन किया गया है जो कतई गलत है। अतः अधिवक्ता परिवादी ने निवेदन किया कि अभियुक्त को परिवाद पत्र में वर्णितं राशि 4,25,000/— रूपये की दुगुनी राशि तथा उक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसार वर्णित सजा से दण्डित फरमाये जाने का आदेश फरमावें।

07. **दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि** परिवादी धर्मपालसिंह ने उक्त प्रकरण झूठा इस आधारों पर पेश किया कि उसे घरेलू एवं व्यवसायिक प्रयोजन के लिये 4,25,000/— रुपयें परिवादी द्वारा प्रदान किये, जबकि वास्तविकता यह है कि अभियुक्त ने किसी प्रकार की उक्त धनराशि परिवादी से प्राप्त नहीं की है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद, साक्ष्य के शपथपत्र एवं विधिक नोटिस में कहीं पर भी यह अंकित नही किया है कि किस तिथि, वार, दिनांक, माह, वर्ष में परिवादी ने अभियुक्त को अभिकथित धनराशि उधार दी, न ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे यह साबित होता हो कि परिवादी और अभियुक्त के मध्य किसी प्रकार का कोई रुपयों का लेनदेन हुआ हो या काई संव्यवहार हुआ हो तथा परिवादी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन स्वीकार किया कि रुपये कौनसी तारीख को दिये व कब दिये। परिवादी ने यह स्पष्ट रूप से कथन किया कि जिस दिन अभियुक्त ने रुपये प्राप्त किये उसी दिन अभियुक्त ने जमानत के तौर पर विवादित चैक दिया

तथा परिवादी ने दौराने जिरह यह भी स्वीकार किया कि उसने उक्त चैक दिनांक 15.05.2015 को लगाया। परिवादी के उक्त समस्त विरोधाभासी कथनों एवं परिवाद पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त चैक दिनांक 15.05.2015 को जारी किया गया, उसी दिन परिवादी के कथनानुसार एवं परिवाद में वर्णित अनुसार दिनांक 15.05.2015 को ही बैंक में क्लियरेंस के लिये परिवादी ने प्रस्तुत कर दिया। परिवादी के उक्त विरोधाभासी कथनों से यह स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा उधार दी गयी राशि दिनांक के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ है, परिवादी के समस्त विरोधाभासी कथन उसके द्वारा की गई अभियोजन की कहानी पर गम्भीर संदेह उत्पन्न करते हैं।

01. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने **निर्णय दिनांक 07 फरवरी 2013 विजय बनाम लक्ष्मण** में मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा सुनाये गये निर्णय के पैरा नंबर 03 के रोशन हिस्से के अनुसारः– WE SAY SO FOR REASONS................THE ENTIRE STORY SUSPECT. उक्त निर्णय **(विजय बनाम लक्ष्मण)** के पैरा नंबर में पुनः स्पष्ट रूप से निर्णित किया गया है किः– COMMING THAN TO PRESENT CASE...............CIREUMSTANCE OF THE CASE.

02. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय **कृष्णा जनार्दन भट्ट बनाम दत्तात्रेय जी हेगडे** के निर्णय के हाईलाईट हिस्सा पैरा नंबर 18 के अनुसार " HE DID NOT PRODUCE ANY BOOKS....................CIRCUMSTANCE OF THE CASE".

03. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय **जॉन के अब्राहम बनाम साईमन (अब्राहम)** निर्णय दिनांक 05.12.2023 में पुनः अपने पूर्ववर्ती निर्णयो को दोहराते हुये जोर देकर अभिनिश्चित किया कि उक्त निर्णय के पैरा नंबर 10 रोशन हिस्सा – KEEPING THE SAID STATUROTY ....ISSUED BY THE APPELLANT.

उपरोक्त निर्णयादेशों में बिना लिखा पढी, बिना प्राप्ति रसीद, बिना आयकर विवरणी, बिना बैंक खाता विवरणी एवं बिना प्रोमेसरी नोट, बिना अकाउन्ट बुक ऐन्ट्री एवं लेनदेन किस तारीख को हुआ यह दर्शित करने के अभाव में लेनदेन होना साबित नहीं माना गया। परिवादी ने भी उसके परिवाद, शपथपत्र, एवं साक्ष्य के शपथपत्र में कहीं पर भी यह वर्णित नहीं किया गया कि उसने किस दिनांक को किस स्थान पर अभियुक्त को धनराशि उधार दी, न ही परिवादी ने उसके साक्ष्य के समर्थन में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज, प्राप्ति रसीद, बैंक खाता विवरणी, आयकर विवरण, अकाउन्ट बुक, एन्ट्री इत्यादि प्रस्तुत किये जिससे यह साबित हो सके कि उसने अभियुक्त को किसी प्रकार की कोई धनराशि उधार दी है। इस प्रकार कथित लेनदेन के दिनांक, माह वार इत्यादि को साबित करने का प्रथमदृष्ट्या भार परिवादी का है, जिसमें वह पूर्णतया असफल रहा है।

अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क कि परिवादी इतनी बडी (HUGE

AMOUNT) रकम देने की वित्तीय हैसियत नहीं रखता है। परिवादी ने दौराने जिहर यह स्वीकार किया कि वह मोबाईल बेचने की दुकान करता था जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर व TIN NO., TAX PAYER IDENTIFICATION NUMBER भी थे तथा वह बिल बुक एवं अकाउन्ट बुक मेन्टेन करता था परन्तु इनकम टेक्स नहीं भरता था, आज दिन तक नहीं भरा। परिवादी के उक्त दोनों विरोधाभासी कथनों सं परिवादी के बयानों पर संदेह उत्पन्न होता है। परिवादी ने दौराने जिरह यह भी स्वीकार किया कि कि 4,25,000/— रुपये उसके पास केस रहे हो, ऐसा कोई दस्तावेज उसने पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किये तथा उसके पास कभी भी बैंक अकाउन्ट में 4,25,000/— रुपये नहीं रहे। परिवादी ने दौराने जिरह यह भी स्वीकार किया कि मोबाईल की दुकान चलाने के लिये माल उधार में खरीदता था, यदि परिवादी की वित्तिय हैसियत सामान्य रहती तो वह माल उधार में क्यों खरीदता।

परिवादी के स्वयं के विरूद्ध 7,50,000/— रुपयें की राशि के चैक अनादरण के मुकदमे माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 1, ब्यावर के समक्ष लम्बित है जिसका शीर्षक नाथूसिंह बनाम धर्मपाल है जिसमें उक्त प्रकरण में परिवादी धर्मपाल के विरूद्ध धारा 138 एन.आई.एक्ट में प्रसंज्ञान लिया जाकर दिनांक 08.06.2018 को जरिये गिरफ्तारी वारन्ट तलब किया गया एवं आज दिनांक तक गिरफ्तारी वारन्ट द्वारा तलब है, जिसमें परिवादी आज दिन तक उक्त संबंधित न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। अतः परिवादी के पास कभी भी इतनी बडी धनराशि उधार दिये जाने या उतनी धनराशि की वित्तीय हैसियत नहीं रही।

01. **के. सुब्रमणी बनाम के दामोदर नायडू (सुप्रिम कोर्ट) निर्णय दिनांक 13 नवम्बर 2014** के पैरा नंबर 5 के रोशन हिस्सा THE PRESUMPTION UNDER SEC 139 ....ACQUITTING THE ACCUSED. उक्त निर्णय के अन्तिम पैरा के रोशन हिस्सा "ON A CONSIDIRISION OF ENTIRE ORAL THE ACCUSED TO HIM.

02. **बासीलिंगप्पा बनाम मोदी बासिप्पा** निर्णय **दिनांक 09 अप्रेल 2019** में माननीय उच्चतम न्यायालय के पैरा नंबर 07 के रोशन हिस्से "IT IS OBSERVED CLAIMED BY COMPLAINTANT. उक्त निर्णय के पेज नंबर 12 के पैरा नंबर 24 के रोशन हिस्से "THERE WAS BURDEN OG COMPLAINTANT....................FINANCIAL CAPCITY AND OTHERS.

उपरोक्त निर्णयों के प्रकाश में इस प्रकरण में परिवादी धर्मपाल उसकी वित्तीय हैसियत एवं आय को साबित करने में असफल रहा है, तथा यह भी साबित करने में असफल रहा है कि वह इतनी बडी धनराशि कहां से लाया। इस प्रकार परिवादी अपने परिवाद के कथित तथ्यो को साबित करने में असफल रहा है।

परिवादी दौराने जिरह यह स्वीकार करता है कि उक्त चैक संख्या

007 के संबंध में उसके विरूद्ध ब्यावर सिटी में मुकदमा दर्ज हुआ जो प्रदर्श डी 01 है, यह भी स्वीकार करता है कि उक्त एफ.आई.आर. प्रदर्श डी 01 के संबंध में उससे पूछताछ भी हुई थी जिसका पूछताछ नोट प्रदर्श डी 02 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है जो पुलिसवालों ने करवाये थे तथा पूछताछ नोट में यह कथन करता है कि "अशोकनाथ ने करीब 10–11 माह पूर्व मुझसे कहां कि मेरे ट्रेलर में टायर डलवाने है व ट्रेलर की 06 किश्ते बकाया है इसलिये रुपयों की आवश्यकता है इसलिये मैने अभियुक्त को 2,50,000/– रुपयें उधार दिये"। परिवादी ने यह भी स्वीकार किया कि "यह कहना गलत है कि मैने अशोकनाथ को प्रदर्श डी–2 में वर्णित ट्रेलर के टायर, फिटनेस, टायर, इन्श्योरेन्स व 06 किश्तो के बकाया पेटे 2,50,000/– रुपयें उधार दिये हो। इसलिये परिवादी की सम्पूर्ण साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

अभियुक्त ने उसके द्वारा कथित तथ्य/प्रतिरक्षा कि परिवादी अवैध रूप से बी.सी. का संचालन करता था एवं उक्त बी.सी. के सिक्योरिटी पेटे परिवादी ने अभियुक्त के खाली हस्ताक्षरित चैक प्राप्त किये, को साबित करने के लिये प्रतिरक्षा साक्ष्य में डी.डब्ल्यू 01 से डी.डब्ल्यू 05 साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी 01 से डी 05 प्रदर्शित करवाये।

अभियुक्त द्वारा स्वयं को न्यायालय के समक्ष बतौर गवाह डी.ड 01 के रूप में परीक्षित कर अपने मुख्य परीक्षण में परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में वर्णित तथ्यों को विरोधाभासी बताते हुये झूठे तथ्यों के आधार पर परिवाद पेश करना बताया है। यह कि अभियुक्त द्वारा एन.आई. एक्ट की धारा 139 की उपधारणा को जो कि खंडनीय प्रकृति की है, को खंडित करने में पूर्णतया सफल रहा है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयः–

रंगप्पा/श्री मोहन 07 मई 2010 एवं बासीलिंगप्पा/मुदिबासिप्पा 9 अप्रेल 2019 के अनुसार 139 की उपधारणा खण्डनीय उपधारणा है एवं यदि उसका खण्डन अभियुक्त द्वारा कर दिया जाता है तो ऑनस ऑफ प्रूफ परिवादी पर शिफ्ट हो जाता है कि वह अपने परिवाद के तथ्यो को साबित करें। यह कि उपरोक्त लिखित बहस के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय संबंधित न्यायिक दृष्टान्त भी माननीय न्यायालय के समक्ष वास्ते अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत किये गये है। ऐसे में अभियुक्त अशोक कुमार नाथ को अपराध धारा 138 एन. आई. एक्ट से दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

विचारणीय बिंदु पर न्यायालय का विवेचनः–

08. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक

अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का परिशीलन किया गया। उक्त विचारणीय बिंदुओं पर न्यायालय का विवेचन निम्न प्रकार हैः—

09. अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 एन.आई.एक्ट के अंतर्गत आरोपित अपराध को साबित करने के लिये परिवादी को निम्नलिखित बिंदुओं को स्वयं के पक्ष में साबित किये जाने आवश्यक हैः—

(क) विधिक दायित्व के उन्मोचन के पूर्णरूपेण या आंशिक रूप से निर्वहन हेतु चैक का अभियुक्त द्वारा बैंकर के साथ अपने संधारित खाते से दिया जाना।

(ख) उक्त चैक का अपर्याप्त निधि या समवर्ती कारणों से अनादरित हो जाना।

(ग) विहित समयावधि में नोटिस दिया जाकर अनादरित चैक की राशि के संबंध में मांग करना जिसके उपरांत भी अभियुक्त द्वारा राशि का नहीं लौटाया जाना।

10. उक्त बिंदुओं के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाये तो परिवादी ने अपने मुख्य परीक्षण में परिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये सशपथ कथन किया है कि अभियुक्त ने उसकी घरेलु एवं व्यावसायिक आवश्यकता होना बताते हुये रुपये 4,25,000/— नकद प्राप्त किये थे एवं उस रोज उधार प्राप्त की गयी रकम के पुनः भुगतान स्वरूप बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा ब्यावर में स्थित अपने खाता सं. 25690100004903 का एक चैक सं. 000007 दिनांकित 15.05.2015 का अपने हस्ताक्षरों से जारी कर परिवादी को संभलाया व पुनः विश्वास दिलाया कि उक्त चैक में वर्णित दिनांक अथवा उसके पश्चात् परिवादी द्वारा जब भी उक्त चैक को क्लीयरेंस हेतु बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तो चैक से भुगतान प्राप्त हो जायेगा। जब परिवादी द्वारा अभियुक्त द्वारा दिलाये गये विश्वास पर अभियुक्त द्वारा दिया गया चैक उसके बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा ब्यावर भिजवाया लेकिन अभियुक्त के बैंक द्वारा अभियुक्त द्वारा दिये गये चैक को उसके खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण 'ओपनिंग बैलेंस इनसफिसेंट' के अंकन के साथ बैंक ने उसके चैक रिटर्न मीमो दिनांक 21.05.2015 के साथ परिवादी को पुनः लौटा दिया। परिवादी ने अपने बैंक से उक्त अनादरितशुदा चैक प्राप्त होने के बाद अभियुक्त को व्यक्तिगत एवं जरिये दूरभाष संपर्क कर उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराया लेकिन अभियुक्त द्वारा टालमटोल एवं बहानेबाजी करते हुये चैक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया जिस पर परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता कमल किशोर आचार्य के द्वारा अभियुक्त के स्थायी पते पर दिनांक 08.06.2015 को एक पंजीकृत नोटिस मय रजिस्टर्ड ए.डी के

प्रेषित कर नोटिस प्राप्ति से 15 दिवस में चैक में वर्णित रकम अदा करने की मांग की। उक्त नोटिस अभियुक्त को प्राप्त हो गया तथा उसने अपने अधिवक्ता श्री संतोष नाथ देवड़ा के मार्फत एक जवाब नोटिस दिनांक 16.06.2025 को परिवादी को पेश किया। परिवादी द्वारा प्रेषित नोटिस अभियुक्त को दिनांक 10.06.2015 को प्राप्त होने के बावजूद अभियुक्त द्वारा चैक में वर्णित राशि अदा नहीं की गयी।

परिवादी द्वारा स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र दिनांकित 07.10.2016 प्रस्तुत किया गया जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी 01 असल चैक, प्रदर्श पी 02 चैक लौटाये जाने का मीमो, प्रदर्श पी 03 डाक रसीद, प्रदर्श पी 04 ट्रेक रिपोर्ट, प्रदर्श पी 05 प्राप्ति स्वीकृति रसीद प्राप्त नहीं होने बाबत् प्रार्थी द्वारा प्रेषित पत्र, प्रदर्श पी 06 परिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रेषित नोटिस की प्रति, प्रदर्श पी 07 अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा जवाब नोटिस प्रेषित।

दौराने जिरह परिवादी ने कथन किया कि जब उसके द्वारा पैसे दिये गये थे तब वह रास में निवास करता था। परिवादी ने अभियुक्त अशोक नाथ को करीब 4 वर्षो से जानने का कथन किया। परिवादी द्वारा अपनी जिरह में कथन किया कि परिवाद, शपथ पत्र व नोटिस उसने पेश किये है सब पढें हैं। उसके द्वारा दिये गये नोटिस प्रदर्श पी 06 पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। परिवादी का यह कथन रहा कि नोटिस उसके वकील साहब ने भेजा था। परिवादी द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व नोटिस में इस बात का अंकन नहीं है कि पैसे किस तारीख किस स्थान व किसके समक्ष दिये गये थे। परिवादी ने यह भी स्वीकार किया कि पैसे कब दिये गये थे उसकी तारीख उसे याद नहीं है। स्वयं कहा कि चैक अनादरित होने के चार–साढे चार माह पूर्व दिये थे। वह पैसे उधार देने का काम नहीं करता है। परिवादी ने कथन किया की अभियुक्त अशोक व उसके बीच लेन–देन चलता रहता है। उक्त 4,25,000/– रुपये उसने अभियुक्त को एकमुश्त दिये थे। समस्त राशि केश दी थी। परिवादी ने कथन किया कि पैसे उसने अपनी दुकान पर दिये थे। चैक उसके द्वारा दिनांक 15.05.2015 को प्रस्तुत किये जाने का कथन किया। इस कथन को स्वीकार किया कि चैक प्रस्तुत किये जाने की रसीद पत्रावली पर नहीं है। पुनः कथन किया कि राशि इसलिये दी यह बात परिवाद में अंकित नहीं है। स्वयं कहा कि पैसे चाहिये थे। गवाह ने कथन किया कि वह राशि जिसके संबंध में उसने चैक लिया है 15 माह में कलेक्शन हो जाता है। नकद 4,25,000/– रुपये से संबंधित कोई दस्तावेज उसके पास रहे हो तो उसने पत्रावली पर पेश नहीं किया है। स्वयं कहा कि क्या जरूरत है। परिवादी ने दौराने जिरह कथन किया कि परिवाद में लिखत अनुसार पैसे देने के बाद उसी दिन अभियुक्त ने

उसको चैक दिया था।

परिवादी से यह प्रश्न पूछे जाने पर कि चैक पर हस्ताक्षर के अलावा जो हस्तलिपी लिखी वह अशोक नाथ की नहीं है परिवादी द्वारा स्वीकार किया गया। चैक दिनांक 15.05.2015 को लिया गया। अभियुक्त द्वारा कूटरचित चैक की एफआईआर की गयी हो तो पता नही का कथन किया। परिवादी ने दौराने जिरह पुनः यह तथ्य स्वीकार किया है कि अभियुक्त को 4,25,000/– रुपये एकमुश्त नकद दिये थे। परिवादी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि प्रदर्श पी 06 नोटिस का जवाब अभियुक्त अशोक नाथ ने प्रदर्श पी 07 दिया। उक्त नोटिस बाद उसने कोई रिमाइंडर नहीं भेजा बल्कि वकील साहब से बात करके केस दर्ज करवाया था। परिवादी ने यह स्वीकार किया कि अभियुक्त के बैक खाते की मूल पासबुक प्रदर्श डी 03 है। इस तथ्य को स्वीकार किया कि अभियुक्त की खाते से दिनांक 21.05.2015 को विवादित चैक अनादरित हुआ था जो पासबुक प्रदर्श डी 03 में ए से बी भाग में वर्णित है। परिवादी ने दौराने जिरह इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसके द्वारा पेश शपथ पत्र का पैरा सं. 02 उसके द्वारा पढ़ सुनकर समझकर पेश किया है। साक्ष्य शपथ पत्र व नोटिस प्रदर्श पी 06 का पैरा एक भी उसके कहे अनुसार उसके वकील साहब ने लिखी है। इस तथ्य को स्वीकार किया कि जिस दिन अभियुक्त ने उससे रुपये प्राप्त किये थे उसी दिन जमानत के तौर पर विवादित चैक दिया था। गवाह ने इस तथ्य को गलत ठहराया कि प्रदर्श पी 06 नोटिस की तामील के पश्चात् अभियुक्त उससे आकर मिला हो। परिवादी ने यह तथ्य स्वीकार किया कि उसके द्वारा 4,25,000/– रुपये कि लिखा पढ़ी नहीं करवायी गयी। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि हर व्यक्ति पैसों का लेन–देन करने पर लिखापढ़ी कर लेता है। गवाह ने इस तथ्य को गलत ठहराया कि उसने अभियुक्त को कोई रुपये उधार नहीं दिये हो एवं बी.सी पेटे दिये गये चैकों का दुरुपयोग किया गया हो।

हस्तगत प्रकरण में न्यायालय को यह देखना है कि क्या परिवादी विवादित चैक का धारक है या नहीं। इस संबंध में प्रदर्श पी 01 असल चैक पर बतौर धारक परिवादी धर्मपाल सिंह का नाम अंकित है जिस संबंध में अभियुक्त पक्ष द्वारा परिवादी पक्ष से कोई प्रतिरक्षा नहीं की गयी है। ब्लकि अभियुक्त ने अपनी जिरह में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 01 में जिसे भुगतान करना हो उसके नाम के रुप में परिवादी धर्मपाल सिंह का नाम लिखा हुआ है। अतः यह तथ्य साबित है कि विवादित चैक का धारक परिवादी धर्मपाल सिंह है। हस्तगत प्रकरण में विवादित चैक इनसफिसेंट बैलेंस के कारण अनादरित हुआ है तथा

अभियुक्त ने अपनी धारा 313 दं.प्रं.सं. के बयानों में कथन किया कि परिवादी द्वारा चैक गलत लाया गया है। अभियुक्त ने किसी भी स्तर पर अपने हस्ताक्षर से इनकार नहीं किया है और ना ही इस प्रकार का कोई सुझाव जिरह में दिया है कि चैक पर उसके हस्ताक्षर कूटरचित हो।

इस आलोक में अभियुक्त ने स्वयं को न्यायालय के समक्ष बतौर गवाह डी.ड 01 के रूप में परीक्षित करवाया है एवं अपनी जिरह में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उक्त चैक पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि चैक सं. 000007 राशि 4,25,000/– रुपये के लिये मेरे हस्ताक्षर से जारी किया हुआ है। इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 01 का समाशोधन बैंक ऑफ बड़ौदा के समक्ष प्रस्तुत करने पर उसके खाते में पैसे नहीं होने के कारण प्रदर्श पी 02 चैक वापसी ज्ञापन दिनांकित 21.05.2015 के माध्यम से प्रदर्श पी 01 उसका हस्ताक्षरशुदा चैक अनादरित कर दिया गया है। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि प्रदर्श 06 नोटिस उसे प्राप्त हो गया था व उसने चैक में वर्णित रकम की अदायगी नहीं की। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा आज दिवस तक परिवादी को चैक की ऐवज में कोई भुगतान नहीं किया। गवाह ने इस तथ्य को गलत ठहराया कि उसके द्वारा उधार प्राप्त की गयी रकम के पुनः भुगतान स्वरूप जारी किये गये चैक सं. 000007 की राशि 4,25,000/– रुपये की अदायगी से बचने के लिये न्यायालय के समक्ष झूठा एवं गलत बयान दे रहा हो। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि प्रदर्श पी 06 नोटिस को प्रदर्श पी 03 डाक रसीद के माध्यम से उसके पते पर भिजवाया गया था। नोटिस 2–5 दिन बाद आ गया था।

इसके अतिरिक्त अभियुक्त की ओर से परीक्षित गवाह पी.ड. 02, 03, 04 व 05 द्वारा भी अपने बयानों में विवादित चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। ऐसे में जब अभियुक्त द्वारा उक्त चैक को निष्पादित किये जाने और उसके हस्ताक्षर को स्पष्ट रूप से इनकार नहीं किया गया है तो इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत Baslingappa vs Mudibasappa Cr Appeal No. 636 of 2019 AIR 2019 SUPREME COURT 1983 में यह निर्धारित किया गया है कि "Once the execution of cheque is admitted Section 139 of the Act mandates a presumption that the cheque was for the discharge of any debt or other liability."

न्यायिक दृष्टांत Rangappa vs Sri Mohan AIR 2010 SUPREME COURT 1898 में यह निर्धारित किया गया है कि:-

Ordinarily in cheque bouncing cases, what the courts have to consider is whether the ingredients of the offence enumerated in Section 138 of the Act have been met and if so, whether the accused was able to rebut the statutory presumption contemplated by Section 139 of the Act.

न्यायिक दृष्टांत M/s Kalamani Tex & Anr. vs P. Balasubramanian CRIMINAL APPEAL NO. 123 of 2021 Feb. 10, 2021 में यह निर्धारित किया गया है कि Once the 2nd Appellant had admitted his signatures on the cheque and the Deed, the trial Court ought to have presumed that the cheque was issued as consideration for a legally enforceable debt. The trial Court fell in error when it called upon the Complainant/Respondent to explain the circumstances under which the appellants were liable to pay. Such approach of the trial Court was directly in the teeth of the established legal position as discussed above, and amounts to a patent error of law.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतो के प्रकाश में चैक का निष्पादन साबित हो जाता है, जहां धारा 118 एवं 139 एन.आई. एक्ट धारक के पक्ष में उपधारणा का प्रावधान देती है। धारा 118(अ) के अनुसार जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता तब तक यह उपधारणा की जाएगी कि हर एक परक्राम्य लिखत प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गई थी और यह कि हर ऐसी लिखत जब प्रतिगहीत हो चुकी हो तब या प्रतिफलार्थ, प्रतिगहीत, पष्ठांकित, परक्रामित या अंतरित की गई थी। धारा 139 एन.आई. एक्ट धारक के पक्ष में उपधारणा करती है, जिसके अनुसार जब तक कि अन्यथा साबित न कर दिया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि चैक के धारक ने यह चैक धारा 138 में विनिर्दिष्ट किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है।

उक्त उपधारणाएं खंडनीय प्रकति की हैं। उक्त उपधारणाओं को खंडित करने का भार अभियुक्त पर होता है। चूंकि धारक के पक्ष में विधिक दायित्व के संदर्भ में चैक निष्पादन की उपधारणा की गई है। ऐसे में अब यह देखना है कि अभियुक्त उक्त उपधारणा का खंडन किस प्रकार कर सकता है। इस हेतु न्यायिक दष्टांत Baslingappa vs Mudibasappa Cr Appeal No. 636 of 2019 AIR 2019 SUPREME COURT 198 में यह निर्धारित किया गया है कि

I. Once the execution of cheque is admitted Section 139 of the Act mandates a presumption that the cheque was for the discharge of any debt or other liability.

II. The presumption under Section 139 is a rebuttable presumption and the onus is on the accused to raise the probable defence. The standard of proof for rebutting the presumption is that of preponderance of probabilities.

III. To rebut the presumption, it is open for the accused to rely on evidence led by him or accused can also rely on the materials submitted by the complainant in order to raise a probable defence. Inference of preponderance of probabilities can be drawn not only from the materials brought on record by the parties but also by reference to the circumstances upon which they rely.

IV. That it is not necessary for the accused to come in the witness box in support of his defence, Section 139 imposed an evidentiary burden and not a persuasive burden.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में न्यायालय द्वारा अब यह विचारण करना है कि क्या अभियुक्त अधिसम्भाव्यता की प्रबलता तक उक्त उपधारणा को खंण्डित करने में सफल रहा है या नहीं?

हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया कि परिवादी के हस्ताक्षरशुदा चैक में वर्णित राशि 4,25,000/— रुपये परिवादी देने में सक्षम नहीं था एवं अभियुक्त द्वारा उक्त चैक एवं अन्य चैक बी.सी के लिये परिवादी को दिये जाते थे जिसका परिवादी द्वारा दुरुपयोग किया गया। **इस आलोक में सर्वप्रथम न्यायालय को यह देखना है कि क्या परिवादी की चैक में वर्णित राशि 4,25,000/— रुपये देने की वित्तीय क्षमता थी।** इसी बाबत् परिवादी पी.ड. 01 ने अपनी जिरह में कथन किया है कि वह वर्तमान में यूजड कार का व्यवसाय करता है जिस वक्त उसके द्वारा उधार राशि दी गयी थी वह मोबाईल का कार्य करता था जो डीपीएस के नाम से दुकान थी। दुकान के टीन नंबर व रजिस्ट्रेशन नंबर भी थे। उसकी बिल बुक मेनटेन करता था। इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता, आज दिन तक नहीं भरने का कथन किया है। समस्त राशि उसके द्वारा केश दी गयी थी। 4,25,000/— रुपये उसके द्वारा दिये गये इसका लिखित में नहीं है। 4,25,000/— रुपये बैंक से निकालकर नहीं दिये बल्कि दुकान से ही दिये थे। उसके द्वारा दुकान का हिसाब कभी नहीं मिलाया। मोबाईल की खरीद—फरोख्त उधार लेता था। उसके तीन—चार बैंक अकाउंट होने का कथन किया। एसबीबीजे बाबरा, एचडीएफसी ब्यावर, पीएनबी राबडियावास व आंध्रा बैंक अजमेर में था। परिवादी ने कथन किया कि उक्त खाते में गाड़ी फाईनेंस का काम होने के कारण अन्यथा वह नकद व्यापार ही करता है। परिवादी ने कथन किया कि दुकान का किराया व मकान किराया 3,000/— 3,000/— रुपये व 4—5 हजार रुपये घर खर्च के है। केश 4,25,000/— रुपये से संबंधित कोई दस्तावेज उसके पास रहे हो उसने पत्रावली में पेश किये है। परिवादी की महिने की 10—15 हजार रुपये बचत है जो वह अपने पास रखता है। गवाह ने स्वीकार किया कि उसके विरुद्ध पुलिस थाना ब्यावर सिटी में प्रदर्श डी

01 एफआईआर दर्ज हुयी। इस एफआईआर के संबंध में उसकी पूछताछ हुयी थी जिसका पूछताछ नोट प्रदर्श डी 02 है जिस पर ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस द्वारा पूछताछ नोट पर उसके हस्ताक्षर करवाये गये थे। परिवादी का कथन रहा कि पूछताछ नोट प्रदर्श डी 02 पर जो लिखा है उसे पढ़ाया नहीं उसके हस्ताक्षर करवाये थे। गवाह ने यह भी कथन किया कि वह कमाई में नहीं समझता, बचत में समझता है। 10—15 हजार रुपये की बचत होती है। परिवादी द्वारा कथन किया कि उसके अकाउंट में कभी भी 4,25,000/— रुपये नहीं रखे। प्रदर्श डी 02 में ए से बी भाग "कि उसकी रास में बस स्टेंड के पास 7 — 8 साल से डीपीएस के नाम से मोबाईल की दुकान थी। अभियुक्त की फैंसी स्टोर की दुकान थी" सही होने का कथन किया। प्रदर्श डी 02 पूछताछ नोट के ए से बी भाग में परिवादी द्वारा स्वयं की डीपीएस मोबाईल की दुकान की रजिस्ट्री करना कहा परंतु परिवादी द्वारा अपनी जिरह में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने का कथन किया है। स्वयं कथन किया कि जब उसके द्वारा दुकान लगायी थी तब अभियुक्त अशोक नाथ ने खाली कर दी थी फिर अशोक नाथ ट्रासपोर्ट कंपनी में कार्य करने लग गया था। उसके ट्रेलर था कि नहीं परिवादी को नहीं पता है। परिवादी द्वारा प्रदर्श डी 02 में वर्णित कथन कि उसके द्वारा अभियुक्त अशोक नाथ को ट्रेलर में टायर, इंश्योरेंस, फिटनेस के लिये छह किश्तों के बकाया पेटे 2,50,000/— रुपये दिये हो को गलत ठहराया। परिवादी ने कथन किया कि उसे नहीं पता कि पुलिस ने यह बात क्यों लिखी। गवाह ने इस कथन को स्वीकार किया कि प्रदर्श डी 02 में ई से एफ हिस्सा सही है। प्रदर्श डी 02 के ई से एफ भाग में यह अंकित है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त अशोक नाथ को 2,00,000/— रुपये उधार दिये थे जिनके 15 दिवस बाद अशोक नाथ पास आया वह कहा की उसके ट्रेलर का गुजरात में एक्सीडेंट हो गया जिसमें एक आदमी मर गया। गाडी छुडवाने के लिये पैसों की जरूरत है जिसमें तीन दिन बाद परिवादी द्वारा अभियुक्त को 1,30,000/— रुपये और दिये गये उस वक्त अभियुक्त अशोक नाथ ने उसको बैंक ऑफ बडौदा का 4,25,000/— रुपये का चैक दिया था। परन्तु परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं साक्ष्य शपथ पत्र ऐवमं बयानों में ऐसा कोई कथन नहीं किया है। ब्लकि एकमुश्त पैसे देने का कहा।

इसके अतिरिक्त प्रदर्श डी 01 एफआईआर का अवलोकन से उक्त एफआईआर अभियुक्त द्वारा परिवादी के विरुद्ध उसके छह खाली चैक सं. 000004 से 000009 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर करवाकर दुरुपयोग करने बाबत् दी थी। न्यायालय के मत में समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से परिवादी के उक्त कथनों पर संदेह उत्पन्न होता है कि परिवादी द्वारा 4,25,000/— रुपये एक साथ

अभियुक्त को दिये या फिर टुकड़ों में दिये थे एवं किस बाबत् दिये थे।

इसके अतिरिक्त परिवादी द्वारा अपनी जिरह में इन कथनों को स्वीकार किया है कि उसके बैंक अकाउंट में कभी भी एक साथ 4,25,000/— रुपये नहीं थे। उक्त 4,25,000/— रुपये अभियुक्त को नकद दिये गये थे परंतु उक्त बाबत् न तो कोई लिखा—पढ़ी उसके द्वारा की गयी ना ही उसके पास 4,25,000/— रुपये केस हो इस बाबत् कोई कथन किया गया है। परिवादी द्वारा जिरह में यह स्वीकार किया है कि उसका दुकान का किराया लगभग 3,000/— रुपये मकान का किराया 3,000/— रुपये एवं अन्य खर्च 4—5 हजार रुपये है जिससे न्यायालय के मत में परिवादी का लगभग 10—12 हजार रुपये प्रतिमाह खर्चा होता है। परिवादी द्वारा महीने में 10—15 हजार रुपये होने का कथन किया परंतु कभी भी 4,25,000/— रुपये उसके अकाउंट में होने का कथन किया है। न्यायालय के मत में अभियुक्त परिवादी की 4,25,000/— उधार देने की वित्तीय क्षमता को संदेह उत्पन करने में सफल रहा है। न्यायालय के मत में अभियुक्त को धारा 139 एन. आई एक्ट एवं 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में की गयी उपधारणा के खण्डन में केवल संदेह उत्पन्न करना आवश्यक होता है। यदि अभियुक्त द्वारा उक्त बाबत् संदेह उत्पन्न कर दिया जाता है या परिवादी के उधार देने की वित्तीय क्षमता पर प्रश्नचिन्ह्न युक्तियुक्त आधार पर प्रस्तुत किया जाता है तो परिवादी की राशि उधार देने की वित्तीय क्षमता को सिद्ध करने का भार पुनः परिवादी पर होता है। इस हेतु अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **Vijay vs Laxman & Anr on 7 February, 2013 AIR ONLINE 2013 SC 483** में यह निर्धारित किया गया है कि the important ingredients of Sections 118 (a) and 139 of the N.I. Act which made it incumbent on the courts below to examine the defence evidence of rebuttal as to whether the respondent/accused discharged his burden to disprove the complainant's case and recorded the finding only on the basis of the complainant's version. On scrutiny of the evidence which we did to avoid unwarranted conviction and miscarriage of justice, we have found that the High Court has rightly overruled the decision of the courts below which were under challenge as the trial court as also the 1st Appellate Court misdirected itself by ignoring the defence version which succeeded in dislodging the complainant's case on the strength of convincing evidence and thus discharged the burden envisaged under Sections 118 (a) and 139 of the N.I. Act which although speaks of presumption in favour of the holder of the cheque, it has included the provisos by incorporating the expressions "until the contrary is proved" and "unless the contrary is proved" which are the riders imposed by the Legislature under the aforesaid provisions of Sections 118 and 139 of the N.I. Act as the

Legislature chooses to provide adequate safeguards in the Act to protect honest drawers from unnecessary harassment but this does not preclude the person against whom presumption is drawn from rebutting it and proving to the contrary. In **Krishna Janardhan Bhat vs Dattatraya G. Hegde on 11 January, 2008 AIR 2008 SUPREME COURT 1325**, में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:–

In Bharat Barrel & Drum Manufacturing Company v. Amin Chand Payrelal [(1999) 3 SCC 35] interpreting Section 118(a) of the Act, this Court opined:

> Upon consideration of various judgments as noted hereinabove, the position of law which emerges is that once execution of the promissory note is admitted, the presumption under Section 118(a) would arise that it is supported by a consideration. Such a presumption is rebuttable. The defendant can prove the non-existence of a consideration by raising a probable defence. If the defendant is proved to have discharged the initial onus of proof showing that the existence of consideration was improbable or doubtful or the same was illegal, the onus would shift to the plaintiff who will be obliged to prove it as a matter of fact and upon its failure to prove would disentitle him to the grant of relief on the basis of the negotiable instrument. The burden upon the defendant of proving the non- existence of the consideration can be either direct or by bringing on record the preponderance of probabilities by reference to the circumstances upon which he relies. In such an event, the plaintiff is entitled under law to rely upon all the evidence led in the case including that of the plaintiff as well. In case, where the defendant fails to discharge the initial onus of proof by showing the non-existence of the consideration, the plaintiff would invariably be held entitled to the benefit of presumption arising under Section 118(a) in his favour. The court may not insist upon the defendant to disprove the existence of consideration by leading direct evidence as the existence of negative evidence is neither possible nor contemplated and even if led, is to be seen with a doubt [Emphasis supplied]

Furthermore, whereas prosecution must prove the guilt of an accused beyond all reasonable doubt, the standard of proof so as to prove a defence on the part of an accused is preponderance of probabilities. Inference of preponderance of probabilities can be drawn not only from the materials brought on records by the parties but also by reference to the circumstances upon which he relies.

A statutory presumption has an evidentiary value. The question as to whether the presumption whether stood rebutted or not, must, therefore, be determined keeping in view the other evidences on record. For the said purpose, stepping into

the witness box by the appellant is not imperative. In a case of this nature, where the chances of false implication cannot be ruled out, the background fact and the conduct of the parties together with their legal requirements are required to be taken into consideration.

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि परिवादी स्वयं द्वारा 4,25,000/— रुपये अभियुक्त को नकद दिये गये परंतु नकद दिये जाने की क्षमता को उधार देने के समय उसके पास कितनी बचत हो इस बाबत् परिवादी द्वारा न तो कोई मौखिक कथन किये हैं एवं ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। ऐसे में अभियुक्त अपने पक्ष में यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि परिवादी की हस्तगत बैंक में वर्णित राशि 4,25,000/— रुपये उधार देने की वित्तीय क्षमता नहीं थी।

इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अभियुक्त का दौराने बहस यह भी तर्क रहा कि अभियुक्त का हस्तगत चैक परिवादी द्वारा दुरुपयोग किया गया है। अभियुक्त एवं परिवादी के मध्य कोई भी उधार नहीं लिया गया है। परिवादी बी.सी का काम करता है जिसके सिक्योरिटी पेटे अभियुक्त से चैक लिये गये थे जिसमें से एक चैक परिवादी द्वारा दुरुपयोग किया गया। इस बाबत् अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई में स्वयं को डी.ड 01 के रूप में परीक्षित करवाया एवं कथन किया है कि उसने परिवादी धर्मपाल सिंह से कोई पैसा उधार नहीं लिया था। बी.सी में परिवादी ने अभियुक्त को सदस्य बनाया था जिसके सिक्योरिटी पेटे उसने चैक लिये थे ताकी बराबर बी.सी की किश्ते भरता रहे। इस प्रकार परिवादी द्वारा चलायी गयी छह बी.सी में से अलग—अलग सदस्य बनाने पर उन बी.सीयो की सिक्योरिटी पेटे छह चैक दिये गये थे जो सभी खाली चैक खाली हस्ताक्षर करवाकर दिये थे। अभियुक्त का कथन रहा कि उसकी चार बी.सी पुरी हो गयी थी। चार बी.सी का पैसा उसे टुकड़ों में दिया गया था व दो बी.सी चल रही थी जिसके 10—12 किश्ते भरी थी। अभियुक्त द्वारा फिर मना कर दिया गया कि उसे बी.सी नहीं चलानी एवं बी.सी में सदस्य नहीं रखने का कथन किया। अभियुक्त का कथन रहा कि आज दिनांक तक कोई हिसाब नहीं किया गया, ना ही कोई चैक लौटाया गया। बी.सी में 8—10 परिवादी के खुद के नाम चलते है बाकी बाजार के सदस्य थे जो परिवादी की दुकान के आस—पास के सदस्य थे। एक—दो सदस्यों के नाम अभियुक्त जानता है जिसके नाम रणजीत सिंह, विजय सिंह, कल्याण है। अभियुक्त सदस्यों को शक्ल से जानने का कथन किया सभी के नाम उसे याद नहीं है। अभियुक्त का कथन रहा कि उसे परिवादी द्वारा प्रेषित नोटिस प्रदर्श पी 06 मिलने पर उसके द्वारा अपनी अधिवक्ता से जवाब नोटिस प्रदर्श 07 भिजवाया था जिस पर ए से बी उसके

हस्ताक्षर है एवं नोटिस देने से पहले व परिवादी से मिला था। हिसाब–किताब के बारे में फिर उसका झगड़ा हो गया था जिसके बाद उसने ब्यावर आकर एफआईआर दर्ज करवायी जो प्रदर्श डी 01 है जो एफआईआर वकील साहब से मिलकर इस्तगासा के माध्यम से दर्ज करवायी थी जिसमें उसने न्यायालय के समक्ष बयान दिये थे। अभियुक्त का कथन रहा कि उस चैक के अलावा एक और चैक लगा हुआ है जो 1,00,000/– रुपये का है जिसका बैंक से उसे कुछ नहीं मिला फिर स्वयं कहा कि 3,00,000/– रुपये का चैक लगा हुआ है जो प्रदर्श डी 03 है जो प्रदर्श डी 03 पर ई से एफ अंकित है। इन चैकों का दुरुपयोग होने के कारण अन्य चैकों का दुरुपयोग नहीं करने हेतु बैंक प्रबंधक को चैकों को स्वीकार नहीं करने व भुगतान नहीं करने के लिये आवेदन किया गया था जो प्रदर्श डी 05 है जिस संबंध में वह चैक लगा है तो राशि कभी परिवादी को नहीं दी ना ही किसी उधार की ऐवज में परिवादी धर्मपाल सिंह को दिये थे।

इस आलोक में गवाह डी.ड 01 की जिरह में यह कथन किया गया है कि ऐसा कोई भी दस्तावेज वह अपने साथ नहीं लाया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि परिवादी धर्मपाल सिंह बी.सी चलाता हो। इस कथन को स्वीकार किया है कि तथाकथित बी.सी के हिसाब तथाकथित छह खाली चैकों बाबत् उसने धर्मपाल सिंह को कोई भी नोटिस नहीं दिया। उसके द्वारा चैक के नोटिस प्राप्ति से पूर्व किसी भी न्यायालय में परिवादी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। इस तथ्य को स्वीकार किया है कि बी.सी के हिसाब की किताब तथा तथाकथित खाली चैकों की मांग बाबत् उसके जवाब नोटिस प्रदर्श पी 07 में कोई अंकन नहीं है। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि परिवादी धर्मपाल सिंह चैक अनादरण का विधिक नोटिस भिजवाने के पश्चात् स्टॉप पेमेंट बाबत् कार्यवाही की थी एवं उक्त बाबत् ही परिवादी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया था। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा दर्ज एफआईआर में पुलिस द्वारा एफआर लगा दी गयी है। अभियुक्त द्वारा अपने समर्थन में गवाह डी.ड 02, 03, 04 व 05 को साक्ष्य सफाई में पेश किया गया है जिन्होंने अपने बयानों में परिवादी धर्मपाल द्वारा बी.सी चलाने का काम करने का कथन किया है एवं उनके द्वारा उक्त बाबत् जानकारी होना इसलिये बताया गया है क्योंकि वह भी बी.सी के सदस्य थे एवं अभियुक्त अशोक भी परिवादी धर्मपाल के यहां चलने वाली बी.सी का सदस्य होने का कथन किया है। गवाहों ने बी.सी संचालक द्वारा सदस्यों से खाली चैक लेने जो कि गारंटी के लिये लिये जाते हैं का कथन किया है। गवाहों ने यह भी कथन किया कि परिवादी धर्मपाल ने अभियुक्त अशोक से जो चैक लिया था वह चैक खली था एवं चैक नंबर 000007

है। इन सभी को जानकारी इसलिये है क्योंकि परिवादी धर्मपाल को चैक देते समय अशोक नाथ के साथ वे मौजूद थे। इस आलोक में सभी गवाहों ने अपने बयानों में यह कथन किया है कि परिवादी धर्मपाल बी.सी चलाने का कार्य करता था एवं उक्त पेटे सदस्यों से खाली चैक लेता था एवं परिवादी धर्मपाल ने अभियुक्त से सिक्योरिटी पेटे चैक लिया था।

इस आलोक में उपरोक्त गवाहों की जिरह का अवलोकन किया जाये तो गवाह डी.ड 02, 03 व 05 द्वारा अपनी जिरह में यह कथन किया है कि जिस समय अभियुक्त ने चैक धर्मपाल को दिया था उस समय उसके साथ यह केवल वह गवाह ही उपस्थित थे। उपरोक्त तीनों गवाहों का यह कथन कि अभियुक्त द्वारा चैक दिये जाने के समय वह उपस्थित थे जिससे अन्य गवाहों की उपस्थिति संदेहास्पद प्रतीत होती है परंतु जहां तक इस प्रश्न का सवाल है कि क्या परिवादी धर्मपाल बी.सी चलाता था एवं उक्त पेटे ही अभियुक्त से चैक लिये थे। सभी गवाहों ने अपनी जिरह में भी इस प्रश्न को सही करार दिया था। धर्मपाल बी.सी चलाता था एवं उक्त पेटे अभियुक्त से चैक लिया था। यहां अधिवक्ता परिवादी का यह तर्क रहा कि अभियुक्त द्वारा बी.सी पेटे कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं गवाहों ने भी अपने बयानों में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि बी.सी के कोई भी दस्तावेज उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये है, ना ही उनके सदस्य होने के बावजूद उनके परिवादी द्वारा किया गया ऐसा कथन किया गया। इस आलोक में न्यायालय के मत में धारा 138 के एन.आई.एक्ट के तहत धारा 139 व 119 में की गयी उपधारणा खण्डनीय उपधारणा है जिसमें अभियुक्त को उपधारणा का खण्डन संदेह से परे जाकर नहीं करना होता है अपितु इसलिये उपधारणा के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न किया जाना होता है।

ऐसे में चूंकि अभियुक्त एवं उसके समर्थन में सभी गवाहों ने शपथ पत्र में यह बयान दिया कि परिवादी धर्मपाल बी.सी चलाने का कार्य करता था जिसके पेटे ही उसके द्वारा अभियुक्त द्वारा चैक लिया गया था जिसका उसके द्वारा दुरुपयोग किया गया है तो यहां न्यायालय के मत में अभियुक्त इस तथ्य को अपने खण्डन में साबित करने में सफल रहा है कि उक्त हस्तगत चैक बी.सी पेटे दिया गया हो इस स्तर पर न्यायालय के मत में उक्त चैक बी.सी पेटे नहीं दिया गया हो। इसको साबित करने का भार परिवादी पर होता है। इस आलोक में परिवादी की जिरह का अवलोकन किया जावे तो परिवादी ने अपनी जिरह में बी.सी चलाने का काम नहीं करने का कथन किया है। गवाह ने इस कथन को गलत ठहराया कि उसके द्वारा बी.सी का कार्य किया जाता हो और विवादित चैक उसके द्वारा उसी पेटे

प्राप्त किया गया हो। गवाह ने इस कथन को स्वीकार किया है कि उसके विरुद्ध पुलिस थाना ब्यावर सिटी में प्रदर्श डी 01 एफआईआर दर्ज हुयी। परिवादी द्वारा अपनी जिरह में कथन किया है कि वह बी.सी नहीं चलाता और ना ही भंवरसिंह पुत्र सायरसिंह, विजय सिंह पुत्र गुमानसिंह, रामेश्वर लाल पुत्र बंशीलाल, कैलाश सोनी पुत्र रामेश्वरलाल, रणजीत सिंह पुत्र बंशीराम को जानता है। इस कथन को अस्वीकार किया है कि सभी व्यक्ति उसके बी.सी के सदस्य हो वह बी.सी के सिक्योरिटी पेटे चैक अपने पास रखता हो। इस कथन को भी गलत ठहराया कि बी.सी से संबंधित उस पर कोई केस जैतारण में चल रहा हो। उसके द्वारा उनको धमकियां दी हो कि उसके पास पांच चैक और पड़े हो। स्वयं कहा कि अभियुक्त ने उसे आईपीएस बनकर धमकाया था जिसकी रिपोर्ट उसने रास थाने में दी थी लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उक्त रिपोर्ट उसके पास रखी है जो वह आज अपने साथ नहीं लाया है। परिवादी ने स्वीकार किया है कि उसे नोटिस प्रदर्श 06 मिलने के बाद अभियुक्त ने अन्य चैकों का दुरुपयोग रोकने के लिये स्टोप पैमेंट कराया था जिसकी उसे जानकारी नहीं है। उसे प्रदर्श डी 05 की जानकारी नहीं होना बताया है।

इस आलोक में न्यायालय के मत में परिवादी द्वारा अपनी जिरह में बी.सी चलाने का कार्य नहीं करना व अभियुक्त से बी.सी पेटे कोई भी चैक नहीं लेने का कथन बार–बार किया है परंतु इस स्तर पर अभियुक्त द्वारा प्रेषित जवाब नोटिस प्रदर्श पी 07 में अभियुक्त द्वारा घरेलू व व्यावसायिक जरूरत के लिये अभियुक्त को 4,25,000 / – रुपये उधार दिये जाने के कथन को अस्वीकार किया। अपने जवाब नोटिस प्रदर्श 07 के पैरा सं. 08 में परिवादी द्वारा बी.सी चलाने का कार्य करने एवं उसमें अभियुक्त का सदस्य होने, सिक्योरिटी पेटे पांच–छह खाली चैक रखने एवं उनका दुरुपयोग करने का अंकन किया है जिस बाबत् परिवादी द्वारा पुनः कोई भी रिमाइंडर नोटिस नहीं दिया जाना अपनी जिरह में स्वीकार किया है।

इसके अतिरिक्त प्रदर्श डी 01 एफआईआर सं. 516 / 15 प्रदर्श डी 02 पूछताछ नोट प्रदर्श डी 05 अन्य चैकों को स्टॉप पेमेंट बाबत् आवेदन के अवलोकन से न्यायालय के मत में यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा अपने चैक सं. 000007 के अनादरण होने के पश्चात् उसके दुरुपयोग बाबत् सम्यकतता बरतते हुये एफआईआर दर्ज करवायी गयी एवं अन्य चैकों का दुरुपयोग न हो इस बाबत् स्टॉप पेमेंट का आवेदन भी बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक को किया गया जिससे न्यायालय के मत में अभियुक्त द्वारा उसके चैक के दुरुपयोग बाबत् उठाये गये कदम से अभियुक्त का बचाव ही उसके दुरुपयोग किया जाना प्रमाणित होता है।

जहां तक परिवादी अधिवक्ता का यह तर्क है कि अभियुक्त द्वारा बी. सी बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है तो न्यायालय के मत में अभियुक्त को धारा 139 व 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत की गयी उपधारणा का खण्डन केवल युक्तियुक्त आधार पर करना होता है।

11. पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आलोक में न्यायालय के मत में अभियुक्त उपधारणा को खण्डित करने में सफल रहा है। लिहाजा अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र औंकार नाथ को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट से दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

12. फलस्वरूप अभियुक्त **अशोक कुमार नाथ पुत्र औंकार नाथ,** उम्र 54 वर्ष, निवासी पुलिस चौकी भाटियों का बांस, बाबरा तहसील रायपुर, जिला ब्यावर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

13. अभियुक्त धारा 437–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार आगामी छः माह के लिए अपीलीय न्यायालय अथवा उच्चतर न्यायालय में उपस्थिति हेतु 10,000/– रुपये का मुचलका एवं इसी कदर राशि की एक संतोषप्रद जमानत प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें।

(स्वाति तोलंबिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैतारण,
जिला ब्यावर

14. निर्णय आज दिनांक **14.08.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(स्वाति तोलंबिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैतारण,
जिला ब्यावर

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.08.21 11:43:52 IST